

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उपखण्ड (1)

PART II—Section 3—Sub-section (1)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 357] नई दिल्ली, मंगलवार, नवम्बर 8, 1977/कार्तिक 17, 1899

No. 357] NEW DELHI, TUESDAY, NOVEMBER 8, 1977/KARTIKA 17, 1899

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती हैं जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके।

Separate paging is given to this Part in order that it may be filed
as a separate compilation

MINISTRY OF FINANCE

(Department of Revenue)

NOTIFICATION

CENTRAL EXCISES

New Delhi, the 8th November 1977

G.S.R. 686(E).—In exercise of the powers conferred by sub-rule (1) of rule 8 of the Central Excise Rules, 1944, the Central Government hereby exempts the excisable goods specified in column (3) of the Table annexed hereto and falling under the relevant Item No. of the First Schedule to the Central Excises and Salt Act, 1944 (1 of 1944), specified in the corresponding entry in column (2) of the said Table, from so much of the duty of excise as is equivalent to the duty of excise leviable with reference to that part of the value thereof which represents the cost of packing in which such goods are delivered at the time of removal from the factory.

Provided that such packing—

- (i) is of a durable nature, and
- (ii) is supplied by the buyer to the assessee and is returnable by the assessee to the buyer

TABLE

Serial No.	Item No. of the First Schedule to the Central Excises and Salt Act, 1944 (1 of 1944).	Description of the excisable goods
(1)	(2)	(3)
1.	1E . . .	Liquid Glucose
2.	6 . . .	Toluene and Benzene
3.	11A . . .	Petroleum products, not otherwise specified, namely, Ethylene, DCPD, AURs and DS-4.
4.	14AA . . .	Calcium Carbide and Hydrogen peroxide.
5.	14B . . .	Caustic Soda Lye and Caustic Potash Lye.
6.	14BBJ . . .	Sodium Silicate.
7.	14H . . .	Chlorine (liquid or gas).
8.	15A(1) . . .	Artificial or synthetic resins

[No. 213/77-CE]

B PROSAD, Under Secy.

वित्त मंत्रालय

(राजस्व विभाग)

अधिसूचना

केन्द्रीय उत्पादन-शुल्क

नई दिल्ली, 8 नवम्बर, 1977

सा० का० नि० 686 (अ).—केन्द्रीय सरकार, केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क नियम, 1944 के नियम 8 के उप नियम (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क और नमक अधिनियम, 1944 (1944 का 1) की प्रथम अनुसूची में उन सुसंगत पद संख्याओं के अन्तर्गत सम्मिलित, जो इससे उपाबद्ध अनुसूची के स्तम्भ (2) में वर्णित हैं, उक्त अनुसूची के तत्सम्बन्धी स्तम्भ (3) में विनिर्दिष्ट उत्पाद-शुल्क मालों को, उत्पाद-शुल्क के उतने भाग से छूट देती है जो उनके मूल्य के उस भाग के प्रतिनिदिश से, जो उस पैकिंग के खर्च को दर्शाती है जिसमें ऐसा माल काग़्खाने से उसके हटाए जाने के समय परिदत्त किया जाए, उद्ग्रहणीय उत्पाद-शुल्क के समतुल्य है।

परन्तु यह तब जब ऐसी पैकिंग—

(i) चलाऊ किस्म की हो, और

(ii) क्रेता द्वारा निर्धारिती को आपूर्ति की गई हो और निर्धारिती द्वारा क्रेता को वापिस की जाने योग्य हो।

सारणी

क्रम सं० केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क उत्पाद शुल्क साल का वर्णन
 और नमक अधिनियम,
 1944 (1944 का 1)
 की प्रथम अनुसूची की मद सं०

(1)	(2)	(3)
1	1 ड०	द्रव श्लूकोज
2	6	टालूईन और बैन्जीन
3	11क	पेट्रोलियम उत्पाद जो अन्यथा विनिर्दिष्ट नहीं है, अर्थात् एथिलीन, डीसीपीडी, एयूआरएस और डी एस-4
4	14कक	केलीसीयम कारबाईड और हाइड्रोजन परे-प्रोक्साइड
5	14ख	कास्टिक सोडा लाई और कास्टिक पोटैश लाई
6	14खख	सोडियम सिलिकेट
7	14ज	क्लोरीन (द्रव और गैस)
8	15क(1)	कृत्रिम या संश्लिष्ट रेजिन।

[म० 213 77-के०उ०शु०]

भुवनेश्वर प्रसाध, अवग सचिव।

महा प्रबन्धक, भारत सरकार मद्रासालय, मिन्टो रोड, नई दिल्ली द्वारा
 मुद्रित तथा नियंत्रक, प्रकाशन विभाग, दिल्ली द्वारा प्रकाशित 1977

PRINTED BY THE GENERAL MANAGER, GOVERNMENT OF INDIA PRESS, MINTO ROAD,
 NEW DELHI AND PUBLISHED BY THE CONTROLLER OF PUBLICATIONS, DELHI, 1977

